अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2017 अनवानी श्री दलजीतसिंह सैनी पुत्र स्व0 श्री बखशीश सैनी मु0पो0 काला डेरा तहसील चोमू जिला जयपुर 303801 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दलजीत सिंह सैनी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दलजीत सिंह सैनी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2017 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. सलंग्न पत्र (छाया प्रति) जो कि आपको 07.02.2017 को भेजा गया है, जिलाधीश महोदय के कार्यालय में 13.02.2017 को प्राप्त हुआ है।
   विषयः अवैध रूप से भू–आवंटन निरस्त करने बाबत या पर हुई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करे।
2. इस भूमि खाता सं0 नया–12 ग्राम ग्राम 16 बीएलडी (ए) के मु0न0 33 पा0न0 246/424, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर काश्तकार का नाम सतनामसिंह, गुरजीतकौर पुत्र/पुत्री गुरचरण सिंह पर स्थापित सोर उर्जा संयत्र की पत्रावली उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 4692 दिनांक 31.05.17 उसे प्राप्त हुआ है किन्तु वर्तमान तक उसे कोई सूचना प्राप्त नही हुई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 7033 दिनांक 29.08.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना की संबंध में उनके द्वारा पत्र सं0 4692–94 दिनांक 31.05.17 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 4692 दिनांक 31.05.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

बिन्दु सं	चाही गई सूचना का विवरण	प्रति–उत्तर
1.	सलंग्न पत्र (छाया प्रति) जो कि आपको 07.02.2017 को भेजा गया है, जिलाधीश महोदय के कार्यालय में 13.02.2017 को प्राप्त हुआ है। विषयः अवैध रूप से भू–आवंटन निरस्त करने बाबत या पर हुई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करे।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ की जांच कर, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अति0जिला कलक्टर सूरतगढ को इस कार्यालय के पत्रांक एफ.12(11) ( )राजस्व/17/1546 दि0 22.02.2017 से भेजा गया है। अतः अति0जिला कलक्टर सूरतगढ से जानकारी प्राप्त करने का श्रम करे।
2.	इस भूमि खाता सं0 नया–12 ग्राम ग्राम 16 बीएलडी (ए) के मु0न0 33 पा0न0 246/424, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर काश्तकार का नाम सतनामसिंह, गुरजीतकौर पुत्र/पुत्री गुरचरण सिंह पर स्थापित सोर उर्जा संयत्र की पत्रावली उपलब्ध करावे।	सोर उर्जा संयत्र की पत्रावली इस कार्यालय/विभाग से संबंधित नही है अतः संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करने का श्रम करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर से स्पष्ट है कि बिन्दु सं0 1 की सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ से प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को लिखा गया है। प्रार्थी को बिन्दु सं0 1 की सूचना अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ़ से प्राप्त करनी चाहिए। यदि उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो प्रार्थी उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है व बिन्दु सं0 2 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से संबंधित नही है। उनके द्वारा संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को लिखा गया है। अतः बिन्दु सं0 2 की सूचना प्रार्थी को संबंधित विभाग से ही प्राप्त करनी चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 31.05.17 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर